राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2008, 2009, 2010, 2011 एवं 2012/2016 जिला : जयपुर.........

उनवान मैसर्स रसना प्रा.लि.,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन,राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2016	खण्डपीठ कैम्प जयपुर श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा,सदस्य	

अपीलार्थी के ओर से श्री पंकज घीया, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी. ओझा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

ये पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.08.2016, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–प्रथम,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12 से 15–16 के लिये पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.07.2016 में निम्न तालिका के अनुसार कायम मांग राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों की वसूली पर रोक लगाते हुए निम्न तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित राशियों पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाने के कारण, अपीलीय अधिकारी के आदेश को विवादित करते हुए रोक लगाने का निवेदन किया गया है ।

अ.सं	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	स्थगित राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
2008/16	1,42,42,715/–	79,79,112/–	62,63,603/–
2009/16	1,36,18,345/–	78,71,858/–	57,46,487/–
2010/16	1,31,31,398/–	78,63,112/–	52,68,286/–
2011/16	1,43,45,464/–	89,10,226/–	54,35,238/–
2012/16	1,09,39,708/–	70,57,876/–	38,81,832/–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में फ्रूट फन, कन्सट्रेट पाउडर एवं रसना फ्रूट प्लस नाम उत्पाद का विक्रय किया गया है,जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है,जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त उत्पाद के विक्रय को 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर व्यवहारी द्वारा 9 पतिशत अन्तर का कर का परिवर्जन किया जाना मानते हुए अन्तर कर दर 9 प्रतिशत से कर आरोपित किया तथा कर को अदत्त मानकर ब्याज तथा करापवंचन किये जाने के कारण कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों की वसूली को स्थगित रखते हुए कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इनकार किया गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित नही की गई राशियों में से उपरोक्त तालिके कॉलम संख्या 4 में अंकित राशियों पर रोक लगाने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के ओर से श्री पंकज घीया द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद Processed or preserved vegetables and fruits/processed fruits के अन्तर्गत वर्गीकृत है तथा व्यवहारी द्वारा बिक्रीत फुट पाउडर Processing preservation and packing of fruits or vegetables के अन्तर्गत वर्गीकृत है। उनका कथन है कि अनुसूची–पंचम की प्रविष्ठि संख्या 16(x) दिनांक 14.07.2014 से लागू की गई है । उनका यह भी कथन है कि सॉफ्ट ड्रिन्क कन्सन्ट्रेट्स सिन्थेटिक नानॅ फ्रूट उत्पादों के अन्तर्गत आते है और उनके द्वारा बिक्रीत उत्पाद रसना उत्सव पाउडर Fruit Squash के रूप में बेचा जाता है और उक्त बिक्री रसना प्रोडक्टस अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या 107 से आच्दादित है तथा व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद पर 5 प्रतिशत की कर दर से वसूल किया है क्योंकि फ्रूट आधारित उत्पादों पर कर दर 5 प्रतिशत है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की आर्थिक स्थित काफी खराब (poor) इसलिए उनके द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशियों पर एक माह के लिए स्थगन प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया ।

विभाग की ओर से श्री उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिक बताते हुए स्थगन आवेदन पत्रों को खारिज करने का निवेदन किया गया ।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2016 के अवलोकन से स्प्ष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में कायम मांग राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों की वसूली पर स्थगन प्रदान कर उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित अवशेष राशियों पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध गें किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशियों के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशियों(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित राशि) की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को इस आदेश की प्राप्ति दिनांक से एक माह तक के लिए स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के एक माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष